



Neutral Citation No. - 2026:AHC:62570

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 5925/2026

सिरोज़ उर्फ़ फ़िरोज़

....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता

: जितेंद्र सिंह

प्रतिवादी के अधिवक्ता

: जी.ए.

न्यायालय संख्या- 69

माननीय न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री जितेंद्र सिंह, राज्य-प्रतिवादियों के विद्वान ए.जी.ए. श्री बी.पी. मौर्य को सुना गया और अभिलेख का परिशीलन किया गया।
2. यह वर्तमान जमानत याचिका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के तहत आवेदक सिरोज़ उर्फ़ फ़िरोज़ की ओर से दायर की गई है, जिसमें उसे पुलिस स्टेशन जहानाबाद, जिला पीलीभीत में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 24/2025, धारा 2/3 यू.पी. गैंगस्टर और असामाजिक गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत मुकदमे के लंबित रहने के दौरान जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई है।

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि आवेदक निर्दोष है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। आगे यह भी निवेदन किया जाता है कि आवेदक केवल उस मामले में जमानत पर है जो उसके खिलाफ गैंग चार्ट में दिखाया गया है, इसके अलावा, आवेदक सात अन्य मामलों में भी जमानत पर है। आवेदक, जो 1.2.2025 से कारावास में है, यह वचन देता है कि यदि उसे स्वतंत्रता दी जाती है, तो वह इसका दुरुपयोग नहीं करेगा। यह भी इंगित किया गया है कि न्यायालय में मामलों के भारी लंबित होने के कारण, मुकदमे के शीघ्र निष्कर्ष की कोई संभावना नहीं है।

4. इसके विपरीत विद्वान ए.जी.ए. ने आवेदक की जमानत अर्जी का विरोध किया है।

5. आवेदक उस एकमात्र मामले में जमानत पर है जो उसके खिलाफ गैंग चार्ट में दिखाया गया है, इसके अलावा, आवेदक सात अन्य मामलों में भी जमानत पर है। आवेदक 1.2.2025 से जेल में बंद है।

6. तथ्यों की समग्रता, प्रकृति और अभिलेखों से परिलक्षित साक्ष्य पर विचार करने के बाद और अधिनियम की धारा 19(4) के प्रावधान को भी ध्यान में रखते हुए और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मुझे यह जमानत के लिए एक उपयुक्त मामला लगता है। इसलिए, वर्तमान जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

7. यदि उपरोक्त मामले में शामिल आवेदक सिरोज उर्फ फिरोज को गिरफ्तार किया जाता है, तो उसे संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए ₹50,000/- के व्यक्तिगत मुचलके और उतनी ही राशि के दो जमानती प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाएगा।

(i) आवेदक प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, भय या वचन नहीं देगा, जिससे वह न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्य प्रकट करने से विरत रहे या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करे।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



(ii) आवेदक अभियोजन के गवाहों को डराएगा-धमकाएगा नहीं।

(iii) आवेदक को (i) मामले की शुरुआत, (ii) आरोप निर्धारण और (iii) बी.एन.एस.एस. की धारा 351 के तहत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तारीखों पर विचारण न्यायालय में स्वयं उपस्थित रहना होगा।

(iv) आवेदक इस आशय का एक हलफनामा दाखिल करेगा कि जब गवाह परीक्षण न्यायालय में उपस्थित होंगे, तो वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथियों पर कोई स्थगन नहीं मांगेगा।

(v) आवेदक प्रत्येक निर्धारित तिथि पर व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।

8. यदि उपरोक्त में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होता है, तो यह ज़मानत रद्द करने का आधार होगा।

9. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कही गई कोई भी बात इस जमानत आवेदन के निर्धारण के उद्देश्य तक ही सीमित है और इसे किसी भी तरह से मामले के गुण-दोष पर कोई राय नहीं माना जाएगा। अवर न्यायालय इस आदेश में कही गई किसी भी बात से अप्रभावित रहते हुए, पेश किए गए सबूतों के आधार पर अपने स्वतंत्र निष्कर्षों पर पहुंचने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र होगी।

(न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा)

25 मार्च 2026

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



कुमार मनीष

Translated Version. Not For Legal Use.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”